



.-2026:AHC:55331

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
आपराधिक विविध, धारा 482 के तहत अग्रिम
जमानत आवेदन
बीएनएसएस क्रमांक - 1975/2026

शादाब और एक अन्य

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....विपरीत
पक्ष

आवेदक के वकील	:	मनोज कुमार दुबे, प्रवीण मिश्रा
विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता	:	जी.ए.

न्यायालय संख्या - 72

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता श्री मनोज कुमार दुबे और राज्य के विद्वान एजीए श्री मनोज गौतम की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- वर्तमान आवेदन केस क्राइम संख्या 409/2025 में बीएनएस की धारा 115(2), 118(2), 3(5) पुलिस स्टेशन इंचौली, जिला मेरठ के तहत अग्रिम जमानत की मांग करते हुए दायर किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि गिरफ्तारी की स्थिति में आवेदकों को जमानत पर रिहा कर दिया जाए।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता निर्दोष हैं और उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आगे यह भी कहा गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में याचिकाकर्ता संख्या 2 पर हमले का आरोप लगाया गया है, जबकि बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में पीड़ित ने याचिकाकर्ताओं पर हमले का कोई आरोप नहीं लगाया है और कथित घटना में पीड़ित के दांत टूट गए हैं। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ताओं का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। याचिकाकर्ताओं ने मुकदमे के दौरान सहयोग करने का वचन दिया है और जांच एजेंसी या न्यायालय द्वारा आवश्यकता पड़ने पर वे उपस्थित होंगे। यह भी कहा गया है कि यदि याचिकाकर्ताओं को अग्रिम जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और जांच में सहयोग करेंगे तथा जमानत की सभी शर्तों का पालन करेंगे।

4. दूसरी ओर, विद्वान एजीए ने अग्रिम जमानत के आवेदन का भी विरोध किया है।

5. सह-आरोपी श्रीमती सम्मू को इस न्यायालय द्वारा आपराधिक विविध अग्रिम जमानत आवेदन धारा अंतर्गत 482 बीएनएसएस संख्या 1602/2026 में दिनांक 17.02.2026 को पारित आदेश के माध्यम से पहले ही अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आवेदक संख्या 2 को मारपीट की विशिष्ट भूमिका सौंपी गई है; हालाँकि, घायल



व्यक्ति ने बीएनएसएस की धारा 180 के तहत दर्ज अपने बयान में आवेदकों को मारपीट की कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी है, और कथित घटना में घायल व्यक्ति को दाँत टूटने की चोट लगी है। यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. यह उल्लेख किया जा सकता है कि सिद्धाराम सतलिंगप्पा म्हेत्रे बनाम महाराष्ट्र राज्य (2011) 1 एससीसी 694 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि अग्रिम जमानत का निर्णय करते समय न्यायालय को आरोप की प्रकृति और गंभीरता, आरोपी का पूर्ववृत्त, आरोपी के न्याय से भागने की संभावना पर विचार करना चाहिए और न्यायालय को आरोपी के खिलाफ उपलब्ध सभी सामग्री का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना चाहिए तथा आरोपी की सटीक भूमिका को भी ध्यान में रखना चाहिए।

7. इस मामले में, अग्रिम जमानत के संबंध में कानून के स्थापित सिद्धांत, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें, आवेदकों की भूमिका और मामले के सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, अग्रिम जमानत का मामला बनता है।

8. अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली गई है।



9. उपरोक्त मामले में अपराध के लिए अभियोक्ताओं - शादाब और सवेज की गिरफ्तारी की स्थिति में, उन्हें संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार 50,000/- रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के दो जमानती प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा, निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

(i) आवेदकों को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए और उन्हें निर्धारित तिथि पर निचली अदालत के समक्ष उपस्थित होना चाहिए, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उन्हें छूट न दी गई हो;

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उन्हें न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके;

(iii) आवेदक मुकदमे की सुनवाई के दौरान सहयोग करेंगे और जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे।

(iv) आवेदक संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत नहीं छोड़ेंगे।

10. यदि इनमें से किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो अभियोजन पक्ष आवेदकों को दी गई अग्रिम जमानत को

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रद्द करने के लिए उचित आवेदन दाखिल करने के लिए स्वतंत्र
होगा।

18 मार्च, 2026

(न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार
सिन्हा)

Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



Translated version, Not for Legal Use.

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**